

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बाघमारा (धनबाद)

:: आदेश-पत्रक ::

अभिलेख वाद सं०-०४/२०१७-१८

दिनांक	आदेश एवं सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई टिप्पणी, दिनांक सहित
	<p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-२०७४/रा०, दिनांक १३.०५.२०१६ सहपठित-श्री अनुप मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-खा०म०निति-११९/८५/२३०८/रा०, दिनांक ०३.०९.१९८५ एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०-९१४/रा०, दिनांक ०९.१२.१९८८ में निहित निदेश के अनुपालन में गैर मजरूआ खास भूमि कायम की गई जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गई। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि है।</p> <p>मौजा-भाटडीह, खाता सं० ४२ प्लॉट सं० ५१३ रकवा १२७ की भूमि जो गैर मजरूआ खास अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के पर जमाबंदी रैयत साधू शरण तिवारी के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी, बाघमारा।</p>	